कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ *(05962) 231099 Fax : 230397*
पत्रांक – 2038 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 15/02/2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/39043/2019।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 1340 / 12–1 दिनांक 26.12.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 3200 / 12–1 दिनांक 08.02.2024 द्वारा सूचित किया है। जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर– 9208008000

पत्रांक 3200 / 12-1-2

सेवा में, बागेश्वर दिनांक : 08/ 2 /2024

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – जनपद–बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(FP/UK/ROAD/39043/2019)**

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 1340 / 12–1 देहरादून: दिनांक 26 दिसम्बर, 2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी है, प्रस्तावक विभाग द्वारा उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

1.	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।	प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण के पश्चात प्रस्तावित स्थल पर समतलीकरण कर Passing Place के रूप में उपयोग किया जायेगा।
2.	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण वायरक्रेट लगाकर सुव्यवस्थित ढंग से किया जायेगा।
3.	डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटि के लिये उपयोग में लाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि डम्पिंग यार्ड को पार्किंग हेतु पब्लिक यूटिलिटि के लिये उपयोग में लाया जायेगा।
4.	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवग कराया गया है कि मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल में वायरक्रेट लगाकर स्लोप को बेंचेस में विभाजित किया जायेगा।
5.	पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इनविरोनिपटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।	NEERI द्वारा निर्देशित नियमों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण किया जायेगा।
6.	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीको को Vesicular Arbuscular Maycorrizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियों के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।	प्रयोक्ता ऐजेंसी VAM एवं अन्य तकनिकी से वनीकरण करने हेतु सहमत है।

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare/other.JEO .docx"

7.	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक 3200 / 12-1-2 दिनांकित ।

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख, वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare/other.JEO .docx"